कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः— 46 /वाहन/नीलामी/कोष0/बागपत/2016—17, दिनांक :— 20/4/16

विज्ञप्ति/नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोषागार बागपत की निम्न डीजल चालित गाड़ी की सार्वजनिक नीलामी, दिनांक 04—05—2016 को समय 1 बजे अपरान्ह, वरिष्ठ कोषाधिकारी बागपत के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति द्वारा की जायेगी।

कमांक	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	मॉडल	न्यूनतम मूल्य
1.	महिन्द्रा बोलेरो	यू0पी0—14, ए0जी0—0040	2004	रू0 65000/—

अतः उपरोक्त नीलामी में जो भी इच्छुक व्यक्ति भाग लेना चाहता हो, वह नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बोली लगा सकता है। नीलामी की शर्ते एवं वाहन के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कोषागार कार्यालय बागपत एवं http://baghpat.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बागपत।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. जिलाधिकारी महोदय बागपत को अवलोकनार्थ।
2. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागपत।
3. जिला सूचना अधिकारी, बागपत।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 बागपत को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
5. सम्पादक, दैनिक जागरण एवं दैनिक अमर उजाला को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में शासकीय दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कराकर उसकी प्रति, मय बिल कोषागार कार्यालय बागपत में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बागपत।

कोषागार बागपत के राजकीय वाहन यू0पी0–14, ए0जी0–0040 की नीलामी हेतु नियम व शर्ते

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को चरित्र प्रमाण पत्र, निवास स्थान का प्रमाण पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
2. वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम होगा।
3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में अंकन रू0 5000 / – (रू0 पॉच हजार मात्र) नकद जमा कराना अनिवार्य होगा।
4. नीलामी स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय में निहित होगा।
5. नीलामी की समाप्ति के उपरान्त अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि रोककर, शेष बोलीदाताओं द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।
6. अधिकतम बोलीदाता को नीलाम की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नीलामी की सकल धनराशि का आधा उसी समय जमा करना होगा तथा नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त शेष धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
7. जो भी व्यक्ति वाहन देखने के इच्छुक हों, वह किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक कोषागार कार्यालय बागपत में सम्पर्क कर वाहन को देख सकते हैं।
8. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद बागपत होगा।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
बागपत।